(5)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0 2159-का विनी/रा विप-29/97-7पी. एफ. पी/97 दिनांक 5 दिसम्बर, 1997

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक एवं
वित्त नीति
अनुभाग-29

विषय:- पुनर्नियोजित सेवकों के वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

परिषद् की सुस्पष्ट नीति है कि 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के उपरांत सेवा वृद्धि या पुनर्नियुक्ति न की जाय। किन्तु कभी-कभी जनहित/परिषदीय हित में अपरिहार्य होने की दशा में अनुबन्ध के आधार पर अथवा अन्यथा सेवा निवृत्ति के उपरांत परिषद् के अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति करनी पड़ती है ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण का प्राविधान सिविल सर्विसेज रेग्यूलेशन के अनुच्छेद-520 में निहित है तथापि विभिन्न मामलों में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से पुनर्नियोजित परिषदीय सेवकों के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाते हैं :-

(1) ऐसे पुनर्नियोजित अथवा अनुबन्ध पर रखे गये परिषदीय सेवकों को उनके वेतन निर्धारण के लिए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्नियोजित पद के वेतनमान की अधिकतम जो भी कम हो, से अधिक न हो, में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) की धनराशि ही घटायी जायेगी अर्थात् उन्हें अन्तिम आहरित वेतन (-) शुद्ध पेंशन से जो भी धनराशि आयेगी उससे अधिक वेतन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) चूंकि पुनर्नियोजित परिषदीय सेवक की स्थिति एक अस्थायी सेवक की होती है अतएव सामान्यत: उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते आदि उसी प्रकार उपलब्ध होंगे जो उसके समकक्ष अन्य अस्थायी सेवकों को अनुमन्य होते हैं। अत: पुनर्नियोजन की अवधि में अन्यथा प्राविधान न होने की दशा में परिषदीय सेवक को अनुमन्य किए गये वेतन की धनराशि तथा सकल पेंशन (शुद्ध पेंशन बिना राशिकरण के) की धनराशि के योग पर अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जायेंगे। जिस पुनर्नियोजित परिषदीय सेवक को ऐसी अन्य सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिए कोई कटौती उसके वेतन के आधार पर की जानी हो यथा मकान किराया तो उसका आगणन उसे अनुमन्य वेतन और सकल पेंशन के योग की धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

(3) पुनर्नियुक्ति की स्थिति में परिषदीय सेवकों की स्थिति एक अस्थायी सेवक की होती है अतएव पुनर्नियोजित परिषदीय सेवक को अस्थायी कर्मचारी की भांति वित्त नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157 (ए) तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(4) पुनर्नियुक्ति की स्थिति में परिषदीय सेवकों को मकान किराया भत्ता यदि वे अपने निजी आवास में रहते हों, अनुमन्य नहीं होगा।

[illegible signature]

क्रमश:.....2/

[15] पुनर्नियुक्ति की स्थिति में परिषदीय सेवक को कोई वाहन आबंटित नहीं किया जायेगा बल्कि यदि वे सेवानिवृत्ति के समय परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वाहन हेतु अधिकृत रहे हों तो वाहन के एवज में उन्हें रू0 1250/= प्र. मा. की दर से वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जायेगा। जिन समितियों आदि में मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष एवं सदस्य हों वहाँ उन्हें वाहन भत्ते की वह धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जो भारत सरकार द्वारा निर्देशित हो।

[16] पुनर्नियोजन की स्थिति में परिषदीय सेवक यदि सेवानिवृत्ति के समय परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवास पर दूरभाष हेतु अधिकृत रहे हों तो उन्हें दूरभाष के एवज में रू0 600/= प्र. मा. की दर से भुगतान किया जायेगा।

[17] पुनर्नियोजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

[18] पुनर्नियोजन की अवधि में परिषदीय सेवक को यात्रा दैनिक भत्ता उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होगी जैसा कि यात्रा भत्ता विषयक आदेश में प्रावधान है।

[19] पुनर्नियोजित परिषदीय सेवक की पुनर्नियुक्ति पुनर्नियोजन की अवधि समाप्त होने से पहले किसी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है एवं जिस पद पर उन्हें पुनर्नियोजित किया गया है वह भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इन शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर अन्य सेवा शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है।

[20] पुनर्नियोजन की अवधि में अन्तरिम/तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो अनुमन्य नहीं होंगी किन्तु ऐसे पुनर्नियोजन के मामले में जिनमें वेतन समेकित वेतन (कन्सोलिडेटिड पे) ही अनुमन्य किया जाता है जिसके साथ न तो महंगाई भत्ता दिया जाता है और न वेतन में महंगाई भत्ते का अंश सम्मिलित होता है, तो पेंशन पर अनुमन्य राहत मिलती रहेगी।

[21] अधिवर्षिता आयु के उपरांत दैनिक वेतन, संविदा, अनुबन्ध वेतनमान, मानदेय तथा अवैतनिक आधार पर की गई नियुक्तियाँ भी पुनर्नियुक्ति की परिधि में आयेंगी।

[22] अपवाद स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सैनानी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षिता आयु के उपरांत अनुमन्य एक वर्ष का सेवाविस्तार तथा तदुपरांत एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति एवं राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षिता आयु के उपरांत अनुमन्य दो वर्ष का सेवा विस्तार के प्रकरण को छोड़कर अन्य किसी मामले में कार्मिक की सेवानिवृत्ति के पश्चात शासन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पुनर्नियोजन न किया जाय।

क्रमशः.....3/

॥13॥ पुनर्नियोजित सेवकों को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात संविदा सेवा पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

॥14॥ पुनर्नियोजित सेवकों को विशिष्ट कार्य हेतु निर्धारित अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाय।

2- उपरोक्त व्यवस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि सेवाविस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति के दुष्परिणाम स्वरूप प्रोन्नति के मार्ग अवरूद्ध होते हैं जिससे एक ओर निचले संवर्गों में कुंठा होती है तथा दूसरी ओर ओवर स्टाफिंग भी होती है। एक अन्य परिणाम यह भी होता है कि आर्थिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नये सुयोग्य तथा प्रशिक्षित कार्मिकों को सेवा में प्रवेश नहीं मिलता जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र के समक्ष प्रतिस्पर्धा शक्ति में अवरोध होता है। अत: पुनर्नियोजन के प्रत्येक मामले में शासन की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है जिन मामलों में शासन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही पुनर्नियुक्ति की गई हो उनमें भी शासन की औपचारिक सहमति प्राप्त करना अभीष्ट होगा।

संगत मामलों में परिषद् के उक्त आदेशों के अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

परिषद् की आज्ञा से,

(signature)

॥अशोक कुमार हांगिल॥
सचिव

सं0 2159॥1॥कार्मिक/राविप-29/97-7पीएफसी/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित:-

॥1॥ समस्त मुख्य अभियंता/महा प्रबंधक, उ0प्र0रा0वि0प0।

॥2॥ समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0।

॥3॥ मुख्य अभियंता॥ज0वि0॥, उ0प्र0रा0वि0प0, 6-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।

॥4॥ महा प्रबंधक, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, उप्र0रा0विप0, कानपुर।

॥5॥ अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0प0, लखनऊ।

॥6॥ समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0रा0वि0प0।

॥7॥ मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0प0, शक्ति भवन, लखनऊ।

॥8॥ परिषद् सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(signature)

॥स0 पी0 श्रीवास्तव॥
संयुक्त सचिव